राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.

dirminority@gmail.com   दूरभाष न.:0141–2711978, 2711938

क्रमांकः एफ 4 (6)/असनि/DBT वाउचर/2022–23/ 3743   जयपुर, दिनांकः 18/7/23

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,......................(समस्त),
राजस्थान।

विषय :– सत्र 2023–24 की अवधि में अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजनान्तर्गत प्रचार–प्रसार कर अधिकाधिक ऑनलाईन आवेदन करवाये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2023–24 की अवधि में अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना अन्तर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पोर्टल पर अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के आवेदन दिनांक 24.07.2023 से दिनांक 31.08.2023 तक भरे जा रहे है। अतः SJED के पोर्टल www.sje.raj.gov. in पर आवेदन की कार्यवाही आरंभ होने पर उक्त योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही संपादित किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति की जा सकें। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष योजना प्रथम बार क्रियान्वित होने तथा व्यापक प्रचार–प्रसार की कमी के कारण आपके जिले में वांछित संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं हो सके थे। अतः इस वर्ष निर्धारित लक्ष्यों (प्रति सलग्न) की पूर्ण प्राप्ति हेतु सघन व सतत रूप से निम्न कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें:–

1. **आपके जिला मुख्यालय पर स्थित स्नातक एवं स्नातकोत्तर राजकीय महाविद्यालयों (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय हेतु) में आप स्वयं छात्रों एवं महाविद्यालय प्रबन्धन से संपर्क कर उन्हें योजना के विषय में विस्तृत जानकारी देवें। छात्रों के साथ बैठक कर संवाद कायम करें।**
2. **इसके लिए आप योजना के दिशा–निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लें ताकि पूर्ण रूप से जानकारी दी जा सके (योजना के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों की प्रति सलग्न है)।**
3. **इसके अतिरिक्त पम्पलेट/ब्रोसर तैयार कर महाविद्यालयों में वितरण करावें।**
4. **गत सत्र अत्यन्त कम छात्र ही योजनान्तर्गत लाभान्वित हो सके थे। अतः इस सत्र में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति करने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए आवेदन कराना सुनिश्चित करें एवं प्रचार–प्रसार हेतु महाविद्यालयों में किये गये कैम्प की फोटो निदेशालय भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।**
5. **योजना का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:–**

क्र. सं.	योजना का नाम	योग्यता/पात्रता	वार्षिक आय सीमा	देय राशि/लाभ सुविधाएं	आवेदन का तरीका	आवेदन के साथ दस्तावेज	सम्पर्क सूत्र
01	अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना	• राजस्थान का मूल निवासी • केवल छात्र पात्र • आवेदक जिला स्तर पर स्थित राजकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हो	2.50 लाख वार्षिक आय	अभ्यर्थी को शैक्षणिक सत्र में 2000/– रूपये प्रतिमाह (10 माह के लिए)	आवेदक द्वारा एस.एस.ओ. आईडी के माध्यम से पोर्टल www.sje.raj.gov. in पर दिनांक 31.08.2023 तक आवेदन करना होगा	• मूल निवास प्रमाण पत्र • बैंक खाते का विवरण • आधार कार्ड/ जनाधार कार्ड • गत वर्ष की अंकतालिका • आय प्रमाण पत्र • अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र • जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाईट www.sje.raj.gov.in तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।

सलग्न उपरोक्तानुसार

18.07.2023

(जमील अहमद कुरैशी)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

1182

कृ.पृ.उ.

अम्बेडकर डीबीटी योजनान्तर्गत जिलेवार निर्धारित लक्ष्य		
S.No.	**District**	**Target**
1	Ajmer	25
2	Alwar	25
3	Banswara	4
4	Baran	10
5	Barmer	20
6	Bharatpur	15
7	Bhilwara	20
8	Bikaner	15
9	Bundi	5
10	Chittorgarh	5
11	Churu	25
12	Dausa	5
13	Dholpur	5
14	Dungarpur	3
15	Hanumangarh	15
16	Jaipur	30
17	Jaisalmer	25
18	Jalore	5
19	Jhalawar	10
20	Jhunjhunu	25
21	Jodhpur	30
22	Karauli	4
23	Kota	30
24	Nagaur	25
25	Pali	5
26	Pratapgarh	5
27	Rajsamand	5
28	Sawai Madhopur	25
29	Sikar	25
30	Sirohi	4
31	Sri Ganganagar	25
32	Tonk	20
33	Udaipur	5
	Total	500

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक–एफ 7 (2) (70)/रा.छा./सान्या.अवि./20–21 / 7328 जयपुर दिनांक 01/07/2021

अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के संचालन की प्रकिया

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट भाषण 2021–22 के बिन्दु संख्या 108 में की गई बजट घोषणा के अनुसरण में विभाग द्वारा SC, ST, OBC, MBC, EWS वर्गों के कॉलेज छात्रों के लिए आवासीय सुविधा हेतु अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत पांच हजार छात्र लाभांवित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में योजना के संचालन की प्रकिया निम्नानुसार हैः–

1. योजना का लाभः– योजनान्तर्गत SC, ST, OBC, MBC, EWS के छात्र जो राजकीय महाविद्यालय की स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षाओं में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्रों को देय होगा।

2. श्रेणीवार छात्रों का विभाजनः– योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के 1500, अनुसूचित जनजाति के 1500, अन्य पिछडा वर्ग के 750, अति पिछडा वर्ग के 750, आर्थिक पिछडा वर्ग के 500 विद्यार्थियों को लाभ दिया जावेगा।

3. पात्रता/शर्तेः–
   - अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।
   - अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सदस्य हो।
   - अभ्यर्थी के माता–पिता, अभिभावक की वार्षिक आय (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुए यदि हो तो) SC, ST, MBC के छात्र की वार्षिक आय 2.50 लाख रू., OBC के लिए 1.50 लाख रू. व EWS के लिए 1.00 लाख रू. से अधिक नहीं हो।
   - जिला स्तर पर स्थित राजकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक पाठ्यक्रम (एकेडमिक कोर्स) में अध्ययनरत् हो।
   - अभ्यर्थी जिस जिले के राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत् है उस नगर निगम/ नगर परिषद/ नगर पालिका का निवासी न हो।
   - योजना के तहत विद्यार्थी जिनके माता-पिता/अभिभावक – के पास स्वयं का मकान उस शहर या स्थान पर होने पर जहां वह अध्ययनरत है, वह योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा।
   - छात्र को योजना का लाभ अधिकतम पॉच वर्षो के लिए देय होगा।
   - जो छात्र सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें उक्त योजना का लाभ देय नहीं होगा।

3–

4. अभ्यर्थी के द्वारा की जाने वाली प्रकिया:-

- विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी किये जाने पर इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा ई-मित्र, एस.एस.ओ. आई.डी. के माध्यम से उक्त पोर्टल पर जनाधार कार्ड के माध्यम से आवेदन किया जावेगा।

5. अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज:-

- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण-पत्र।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र।
- स्व-घोषित आय प्रमाण-पत्र की प्रति।
- अभ्यर्थी के जनाधार कार्ड, आधार कार्ड की प्रति।
- अभ्यर्थी को अपने स्वयं के बैंक का नाम, खाता संख्या, बैंक आईएफएससी कोड, ब्रांच का नाम ऑन लाईन आवेदन पत्र में करना होगा।
- जिला स्थित राजकीय महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत् होने का प्रमाण-पत्र।
- स्व-प्रमाणित किराये के मकान का प्रमाण-पत्र/ किराये के रसीद की प्रति।
- गत वर्ष उत्तीर्ण कक्षा की अंकतालिका की प्रति।

6. योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालय:- विद्यार्थी वर्तमान में जिस राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत है, उस महाविद्यालय के द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की गहन जांच कर आवेदन पत्र उपयुक्त पाये जाने पर अनुशंषा के साथ स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विभागीय जिलाधिकारी) को भिजवाया जावेगा। स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त परिपूर्ण आवेदन पत्रों की ऑनलाईन स्वीकृति कर निर्धारित राशि का भुगतान विद्यार्थी के खाते में डीबीटी की जावेगी।

7. स्वीकृतकर्ता अधिकारी:- योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जाने हेतु जिलेवार व वर्गवार लक्ष्यों के अनुरूप स्वीकृति संबंधित उप निदेशक/ सहायक निदेशक (जिलाधिकारी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी की जावेगी।

8. देय राशि:- अभ्यर्थी को शैक्षणिक सत्र में 2000 रूपये प्रतिमाह अधिकतम 10 माह के लिए देय होगी।

9. भुगतान प्रकिया:- अभ्यर्थी को मासिक/ प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा।

10. प्रकिया का विनिर्णय:- इस प्रकिया की व्याख्या आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जावेगी, वही अन्तिम एवं बाध्यकारी मानी जावेगी। किसी भी विवाद में संबंधित विभाग क आयुक्त/निदेशक का निर्णय अन्तिम होगा।

30/6/2021

(ओ.पी. बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव